राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/पार्ट–III/5492 जयपुर दिनांक : 03/06/2020

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,
राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज मण्डल, जयपुर।

विषयः–श्री सीताराम मीणा को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पुनः कार्यग्रहण कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री सीताराम मीणा पूर्व कनिष्ठ लेखाकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की खण्डपीठ में डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 229/2020 दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के अन्तरिम आदेश दिनांक 23.03.2020 **(प्रति संलग्न)** के अनुसार निदेशालय द्वारा जारी उनकी कनिष्ठ लेखाकार पद से कार्यमुक्ति के आदेश पर स्थगन प्रदान किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि उक्त अपीलार्थी की सेवाऐं कनिष्ठ लेखाकार के पद पर निरन्तर रखी जावें तथा जिन व्यक्तियों द्वारा तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण कर लिया गया है वे तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर ही कार्यरत रहेंगे।

अतः माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 23.03.2020 की पालना में यदि अपीलार्थी श्री सीताराम मीणा द्वारा तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर अभी तक कार्यग्रहण नही किया गया है तो उक्त डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 229/2020 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अध्यधीन श्री मीणा को अपने कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पुनः कार्यग्रहण करवाकर इस विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें।

कृपया माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 23.03.2020 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/पार्ट–III/5492 जयपुर दिनांक : 03/06/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके जारी स्वीकृति आई.डी.संख्या 252000543 दिनांक 21.05.2020 के क्रम में।
2. श्री सीताराम मीणा, पूर्व कनिष्ठ लेखाकार, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,राजरथान जलप्रदाय एवं सीवरेज मण्डल, जयपुर (राज.) को प्रेषित कर लेख है कि यदि उन्होने अभी तक तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण नही किया है तो ही कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करावें।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

Scanned with CamScan